

# न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(डॉ. सौम्या झा, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

08 / 2023  
08.02.2023

जगदीश पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी सिरस तहसील निवाई जिला टोंक राज०  
—अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार निवाई जिला—टोक

—रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय  
नायब तहसीलदार निवाई दिनांक 28.12.2022 मिसल नम्बर 785 / 2022

उपस्थिति : (1) श्री दोलतराम चौधरी, अभिभाषक अपीलान्ट  
(2) श्री सावंतराम मीना, नायब तहसीलदार राजकीय परोकार

## निर्णय

दिनांक 26.03.2024

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार निवाई ने अपने निर्णय दिनांक 28.12.2022 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2459/5 में से रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा किस्म बजड-2 वाके ग्राम सिरस तहसील निवाई में राजकीय भूमि पर सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 90/रू. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं परोकार सरकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अपीलांट ने उक्त आराजी पर आज तक कभी भी कोई फसल काश्त नहीं की है और ना ही कब्जा करने हेतु अतिक्रमण कर रखा है। पटवारी हल्का ने दुर्भावनावश अपीलांट के नाम गलत रूप से गश्त की है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौका निरीक्षण नहीं किया और ना ही मौके की वास्तविक वस्तु स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। सिविल कारावास की सजा देने से पूर्व पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना आवश्यक है तथा पूर्व में उसे बेदखल किया जाना आवश्यक है। उनवानी प्रकरण में अपीलांट को पूर्व में पश्चातवर्ती अतिक्रमी किस प्रकार माना है। पूर्व में किस पत्रावली से बेदखल किया गया है का रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ

  
जिला कलेक्टर  
टोंक

न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का से अपीलान्ट को जिरह का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट ने वर्तमान में उक्त आराजी पर से अपना कब्जा हटा लिया है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लेने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 2459/5 में से रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा किस्म बजड-2 वाके ग्राम सिरस तहसील निवाई में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार निवाई द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है, परन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय परोकार की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलान्ट पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट की ओर से रामेश्वर की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 2459/5 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा किस्म बजड-2 वाके ग्राम सिरस तहसील निवाई पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 567/2022 निर्णय दिनांक 18.10.2022 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में दिनांक 28.02.2024 को शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त भूमि पर से मेरा कब्जा/अतिक्रमण हटा लिया है और अब मेरे द्वारा उक्त भूमि पर भविष्य में किसी प्रकार का कब्जा/अतिक्रमण नहीं किया जावेगा, मे इससे पाबंद रहूंगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार निवाई का निर्णय दिनांक 28.12.2022 इस शर्त के साथ अपास्त किया जाता है कि यदि अपीलान्ट पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. सोमिया झा)  
जिला कलेक्टर टोक  
हॉक